

आदेश

शासनादेश सं० 2885/12-2-2003-एस-19/2002 दिनांक 30.05.2003 के क्रम में उ०प्र० बीज विकास निगम के पत्रांक यूपीसीड/45/विप०-05/2025-26 दिनांक 03.04.2025 एवं पत्रांक यूपीसीड/362/विप०-05/2025-26 दिनांक 24.04.2025 द्वारा खरीफ 2025 में विक्रय किये जाने वाले प्रमाणित बीजों की सूचित प्रदाय दरों/फुटकर विक्रय दरों पर कृषि निदेशक, उ०प्र० द्वारा दिनांक 29 अप्रैल 2025 को दिये गये अनुमोदन के क्रम में कृषि विभाग हेतु प्रदाय दर तथा कृषकों में वितरण हेतु फुटकर विक्रय दर निम्नानुसार निर्गत की जाती है :-

(दर ₹०/कु०)

क्र.सं.	फसल/प्रजाति	प्रदाय दर	फुटकर विक्रय दर
1	धान मोटा (समस्त प्रजाति)	4077.00 (₹० चार हजार सतहत्तर मात्र)	4480.00 (₹० चार हजार चार सौ अस्सी मात्र)
2	धान महीन (समस्त प्रजाति)	4103.00 (₹० चार हजार एक सौ तीन मात्र)	4509.00 (₹० चार हजार पाँच सौ नौ मात्र)
3	धान बासमती (समस्त प्रजाति)	5586.00 (₹० पाँच हजार पाँच सौ छियासी मात्र)	6138.00 (₹० छः हजार एक सौ अड़तीस मात्र)
4	तिल (समस्त प्रजाति)	18120.00 (₹० अट्ठारह हजार एक सौ बीस मात्र)	18680.00 (₹० अट्ठारह हजार छः सौ अस्सी मात्र)
5	सोयाबीन (समस्त प्रजाति)	7233.00 (₹० सात हजार दो सौ तैंतीस मात्र)	7695.00 (₹० सात हजार छः सौ पनचानबे मात्र)
6	अरहर अल्पावधि (समस्त प्रजाति)	16628.00 (₹० सोलह हजार छः सौ अट्ठाईस मात्र)	17142.00 (₹० सत्रह हजार एक सौ बयालिस मात्र)
7	संकुल बाजरा (समस्त प्रजाति)	5937.00 (₹० पाँच हजार नौ सौ सैंतीस मात्र)	6384.00 (₹० छः हजार तीन सौ चौरासी मात्र)
8	संकुल ज्वार (समस्त प्रजाति)	6644.00 (₹० छः हजार छः सौ चौवालिस मात्र)	7068.00 (₹० सात हजार अड़सठ मात्र)
9	रागी (समस्त प्रजाति)	8156.00 (₹० आठ हजार एक सौ छप्पन मात्र)	8585.00 (₹० आठ हजार पाँच सौ पचासी मात्र)
10	कोदो (समस्त प्रजाति)	8156.00 (₹० आठ हजार एक सौ छप्पन मात्र)	8585.00 (₹० आठ हजार पाँच सौ पचासी मात्र)
11	सांवा (समस्त प्रजाति)	8156.00 (₹० आठ हजार एक सौ छप्पन मात्र)	8585.00 (₹० आठ हजार पाँच सौ पचासी मात्र)
12	अरहर दीर्घावधि (समस्त प्रजाति)	15311.00 (₹० पन्द्रह हजार तीन सौ ग्यारह मात्र)	15785.00 (₹० पन्द्रह हजार सात सौ पचासी मात्र)

अनुदान समायोजन के सम्बन्ध में सम्बन्धित परियोजना निदेशक द्वारा प्रसारित आदेशों/निर्देशों का परिपाकन सुनिश्चित करें। उक्त दरें वेबसाईट एवं मण्डलीय/जनपदीय विभागीय अधिकारियों की ई-मेल पर उपलब्ध है।

(डा० अमर नाथ मिश्र)
अपर कृषि निदेशक,
(बीज एवं प्रक्षेत्र) उ०प्र०।

कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश
(बीज एवं प्रक्षेत्र अनुभाग)
कृषि भवन, लखनऊ।

पत्रांक:एस०एफ०- 232-T

/29टी/बीज दर-17/जायद/खरीफ-2025 दिनांक:30/04/2025

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सहायक निदेशक(कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ को उक्त दरों को विभागीय वेबसाईट/डी०बी०टी० पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
2. बीज आवंटन पटल सहायक को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त दरों के अनुसार डी०बी०टी० पोर्टल पर मास्टर लोड कराना सुनिश्चित करें।
3. समस्त जिला कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक(शोध) उ०प्र०।
4. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक/प्रधानाचार्य राजकीय कृषि विद्यालय, उ०प्र०।
5. समस्त संयुक्त कृषि निदेशक/समस्त अपर कृषि निदेशक/परियोजनाधिकारी कृषि भवन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० बीज विकास निगम, महानगर, लखनऊ।
7. कृषि निदेशक, उ०प्र० द्वारा दिनांक 29.04.2025 को दिये गये अनुमोदन के क्रम में अवलोकनार्थ प्रेषित।
8. विशेष सचिव, उ०प्र० शासन, कृषि अनुभाग-2, सचिवालय लखनऊ।

अपर कृषि निदेशक,
(बीज एवं प्रक्षेत्र) उ०प्र०।

आदेश

शासनादेश सं० 2885/12-2-2003-एस-19/2002 दिनांक 30.05.2003 के क्रम में उ०प्र० बीज विकास निगम के पत्रांक यूपीसीड/45/विप०-05/2025-26 दिनांक 03.04.2025 एवं पत्रांक यूपीसीड/362/विप०-05/2025-26 दिनांक 24.04.2025 द्वारा खरीफ 2025 में विक्रय किये जाने वाले प्रमाणित बीजों की सूचित प्रदाय दरों/फुटकर विक्रय दरों पर कृषि निदेशक, उ०प्र० द्वारा दिनांक 29 अप्रैल 2025 को दिये गये अनुमोदन के क्रम में कृषि विभाग हेतु प्रदाय दर तथा कृषकों में वितरण हेतु फुटकर विक्रय दर निम्नानुसार निर्गत की जाती है :-

क्र.सं.	फसल/प्रजाति	प्रदाय दर	फुटकर विक्रय दर
1	धान मोटा (समस्त प्रजाति)	4077.00 (रु० चार हजार सतहत्तर मात्र)	4480.00 (रु० चार हजार चार सौ अस्सी मात्र)
2	धान महीन (समस्त प्रजाति)	4103.00 (रु० चार हजार एक सौ तीन मात्र)	4509.00 (रु० चार हजार पाँच सौ नौ मात्र)
3	धान बासमती (समस्त प्रजाति)	5586.00 (रु० पाँच हजार पाँच सौ छियासी मात्र)	6138.00 (रु० छः हजार एक सौ अड़तीस मात्र)
4	तिल (समस्त प्रजाति)	18120.00 (रु० अट्ठारह हजार एक सौ बीस मात्र)	18680.00 (रु० अट्ठारह हजार छः सौ अस्सी मात्र)
5	सोयाबीन (समस्त प्रजाति)	7233.00 (रु० सात हजार दो सौ तैंतीस मात्र)	7695.00 (रु० सात हजार छः सौ पनचानबे मात्र)
6	अरहर अल्पावधि (समस्त प्रजाति)	16628.00 (रु० सोलह हजार छः सौ अट्ठाईस मात्र)	17142.00 (रु० सत्रह हजार एक सौ बयालिस मात्र)
7	संकुल बाजरा (समस्त प्रजाति)	5937.00 (रु० पाँच हजार नौ सौ सैंतीस मात्र)	6384.00 (रु० छः हजार तीन सौ चौरासी मात्र)
8	संकुल ज्वार (समस्त प्रजाति)	6644.00 (रु० छः हजार छः सौ चौवालिस मात्र)	7068.00 (रु० सात हजार अड़सठ मात्र)
9	रागी (समस्त प्रजाति)	8156.00 (रु० आठ हजार एक सौ छप्पन मात्र)	8585.00 (रु० आठ हजार पाँच सौ पचासी मात्र)
10	कोदो (समस्त प्रजाति)	8156.00 (रु० आठ हजार एक सौ छप्पन मात्र)	8585.00 (रु० आठ हजार पाँच सौ पचासी मात्र)
11	सांवा (समस्त प्रजाति)	8156.00 (रु० आठ हजार एक सौ छप्पन मात्र)	8585.00 (रु० आठ हजार पाँच सौ पचासी मात्र)
12	अरहर दीर्घावधि (समस्त प्रजाति)	15311.00 (रु० पन्द्रह हजार तीन सौ ग्यारह मात्र)	15785.00 (रु० पन्द्रह हजार सात सौ पचासी मात्र)

अनुदान समायोजन के सम्बन्ध में सम्बन्धित परियोजना निदेशक द्वारा प्रसारित आदेशों/निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करें। उक्त दरें वेबसाईट एवं मण्डलीय/जनपदीय विभागीय अधिकारियों की ई-मेल पर उपलब्ध है।

(डा० अमर नाथ मिश्र)
अपर कृषि निदेशक,
(बीज एवं प्रक्षेत्र) उ०प्र०।

कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश
(बीज एवं प्रक्षेत्र अनुभाग)
कृषि भवन, लखनऊ।

पत्रांक:एस०एफ०-232-T /29टी/बीज दर-17/जायद/खरीफ-2025 दिनांक: 30/04/2025

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सहायक निदेशक(कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ को उक्त दरों को विभागीय वेबसाईट/डी०बी०टी० पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
2. बीज आवंटन पटल सहायक को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त दरों के अनुसार डी०बी०टी० पोर्टल पर मास्टर लोड कराना सुनिश्चित करें।
3. समस्त जिला कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक(शोध) उ०प्र०।
4. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक/प्रधानाचार्य राजकीय कृषि विद्यालय, उ०प्र०।
5. समस्त संयुक्त कृषि निदेशक/समस्त अपर कृषि निदेशक/परियोजनाधिकारी कृषि भवन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० बीज विकास निगम, महानगर, लखनऊ।
7. कृषि निदेशक, उ०प्र० द्वारा दिनांक 29.04.2025 को दिये गये अनुमोदन के क्रम में अवलोकनार्थ प्रेषित।
8. विशेष सचिव, उ०प्र० शासन, कृषि अनुभाग-2, सचिवालय लखनऊ।

(अपर कृषि निदेशक,
(बीज एवं प्रक्षेत्र) उ०प्र०।)